सराहनीय कार्य थाना अराँव दिनांक 03-05-2023 जनपद फिरोजाबाद।

थाना अराँव क्षेत्रान्तर्गत कर्ज से बचने के लिए पुलिस को एक लाख रूपये के लूट की झूठी सूचना देने वाले दो शातिर अभियक्त गिरफ्तार।

- अभियुक्तगणों की निशानदेही पर षड़यंत्र कर छुपाया गया शत-प्रतिशत माल बरामद।
- लूट की सूचना पर थाना अराँव पुलिस द्वारा लूट का मुकदमा पंजीकृत किया गया था।
- विवेचना के दौरान ठोस साक्ष्य संकलन के आधार पर लूट की सूचना असत्य पायी गई।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद द्वारा चलाये जा रहे आपरेशन चक्रव्यूह के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी सिरसागंज के कुशल नेतृत्व में दिनांक 02.05.23 को रेलवे अण्डरपास,सिरसागंज-अराँव मार्ग पर दोपहर 13.30 बजे पल्सर सवार दो अज्ञात बदमाश द्वारा की गयी 1,00,000/- रुपये लूट की घटना का थाना अरांव पुलिस टीम द्वारा की गयी जाँच से सफल अनावरण करते हुए, वादी मुकदमा / अभियुक्त प्रदीप कुमार पुत्र श्री बैनीराम निवासी ग्राम इमिलिया थाना अराँव जनपद फि0बाद उम्र 30 वर्ष व उसके चचेरे भाई शिवम पुत्र सतीशचन्द्र निवासी उपरोक्त उम्र 22 वर्ष की निशानदेही पर मुकदमा वादी / अभियुक्त के घर से लूट से सम्बन्धित रुपये 1,00,000/- सहित गिरफ्तार किया गया है। विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ में अभियुक्त प्रदीप कुमार उपरोक्त द्वारा बताया गया कि कि मेरे ऊपर कर्जा था मैं आज दिनांक 02.05.23 को समय 12.10 बजे पंजाब नेशनल बैंक सिरसागंज से अपने खाते से रुपये निकालकर घर आ गया था तभी मेरे चचेरे भाई शिवम उपरोक्त व मैंने मिलकर योजना बनायी कि हम लोग यदि फर्जी लूट की सूचना लिखा दें तो किसी को कोई पैसा नहीं देना पडेगा फिर मेरे द्वारा अपने मोबाइल में पडी अपनी सिम को निकालकर तोड दिया तथा पुनः अपनी बुलैट मो0सा0 से सिरसागंज अराँव रोड पर गया और रेलवे अण्डरपास के नीचे जाकर चलते हुए राहगीर से फोन करके अपने बडे भाई को बुलाकर 112 नंबर पर दो अज्ञात बदमाश काली पल्सर सवार द्वारा बैंक से निकाले गये 100000/- रुपये लूटे जाने की फर्जी सूचना दी थी। ये गलत काम सिर्फ मेरे द्वारा किसी को कोई कर्जे का पैसा न देना पडे इसलिये किया था।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1-प्रदीप कुमार पुत्र बैनीराम निवासी ग्राम इमिलिया थाना अरांव जनपद फिरोजाबाद उम्र करीब 30 वर्ष।

2-शिवम पुत्र सतीशचन्द्र निवासी उपरोक्त उम्र 22 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

1,00,000/- रूपये (एक लाख रूपये) (500 के 200 नोट)

आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण -

1-मु0अ0सं0 69/23 धारा 120 बी/177/193/196/420 भादवि

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- प्रभारी निरीक्षक श्री योगेन्द्र पाल सिंह थाना अरांव फि0बाद
- निरीक्षक श्री योगेश कुमार शर्मा थाना अरांव फि0बाद
- एसओजी प्रभारी निरीक्षक श्री आलोक मिश्रा मय एसओजी टीम
- उप निरीक्षक श्री आनन्द कुमार थाना अरांव फि0बाद
- है0का0 313 राजेंद्र सिंह थाना अरांव फि0बाद
- का0 1284 शम्भूदयाल थाना अरांव फि0बाद
- का0 1536 रिन्कू सिह थाना अरांव फि0बाद
- का0 1248 सत्यम राजपूत थाना अरांव फि0बाद
- का0 चालक जितेंद्र कुमार थाना अरांव फि0बाद